उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक A/1812/चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनांक 11/04/2023

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(म.प्र. राज्य के........समस्त)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं(वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण IFMIS में प्रविष्टि किये जाने बावत्।

––00––

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में म.प्र. न्यायिक सेवा में पदस्थ थे, की सेवा पुस्तिकाएँ पुनरीक्षित वेतन निर्धारण किये जाने हेतु रजिस्ट्री द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित की गई थी।

रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक बी/1966/चार–12–5/2023 दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से उपरोक्त अधिकारियों का आपके कार्यालय द्वारा किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण की प्रविष्टि District Treasury Officer के लॉगिन के माध्यम से IFMIS में करने हेतु लेख किया गया था। आपके कार्यालय द्वारा पुनरीक्षित वेतन निर्धारण कर उसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दर्ज करते हुये सेवा पुस्तिका रजिस्ट्री वापिस प्रेषित की गई है किन्तु उक्त पुनरीक्षित वेतन निर्धारण की प्रविष्टि IFMIS में नहीं की गई है, जिसके कारण उक्त अधिकारियों का रजिस्ट्री द्वारा किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण की IFMIS में प्रविष्टि दर्ज किये जाने में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही है।

अतः अनुरोध है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में म.प्र. न्यायिक सेवा में पदस्थ थे और उनका उक्त नियम–2022 के अंतर्गत आपके कार्यालय द्वारा पुनरीक्षित वेतन निर्धारण किया गया है, की प्रविष्टि District Treasury Officer के लॉगिन के माध्यम से IFMIS में शीघ्र Update करवाने का कष्ट करें, ताकि उनका उच्चतर न्यायिक सेवा का रजिस्ट्री द्वारा किये गये पुनरीक्षित वेतन निर्धारण की प्रविष्टि IFMIS में की जा सके।

10.4.23

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम.)

डेमन